भारत सरकार

पिनी इनमई सेलवम विलइवु इनबम इमम

अन्नी एन्ब नाटिरक्कू इब इयन्धु

(स्वास्थ्य, सम्पत्ति और उत्पादन का परिणाम है प्रसन्नता तथा सुरक्षा।

विद्वान कहते हैं कि ये पांचों राजतंत्र के आभूषण हैं।

संत तिरुवल्लुवर

बजट 2005-06

28 फरवरी, 2005

website: http://indiabudget.nic.in

बजट 2005-2006 की मुख्य विशेषतायें

वृहद् आर्थिक पृष्ठभूमि

- 2004-05 में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत होनी अनुमानित, विनिर्माण क्षेत्रक में 8.9 प्रतिशत वृद्धि सम्भावित।
- मुद्रास्फीति नियंत्रित कर ली गई है।
- 2004-05 में निवेशों में तेजी आई है; गैर-खाद्य ऋण 21.2 प्रतिशत बढ़े हैं।

गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार

- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए आवंटन 2004-05 में 4,020 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2005-06 में 11,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। कार्यक्रम को *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम* में परिवर्तित किया जाएगा।

- *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन* : स्वास्थ्य स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, अधिक औषधियां प्रदान करने और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रणाली जैसे घटकों के साथ इस मिशन को अगले वित्तीय वर्ष में शुरु किया जाएगा; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाओं पर कार्य अगले वर्ष शुरु किया जाएगा।

- *अन्त्योदय अन्न योजना* : कवरेज को बढ़ाकर 2.5 करोड़ परिवार किया जाएगा।
- *आईसीडीएस* : 1,88,168 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना करके स्कीम का विस्तार किया जाएगा; अनुपूरक पोषण मानदण्डों को दुगना किया जाएगा; केन्द्र राज्यों की आधी लागत की साझेदारी करेगा।

- *मध्याह्न भोजन स्कीम* : बजट अनुमान 2004-05 में आवंटन 1,675 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2005-06 में 3,010 करोड़ रुपए किया गया।
- *सर्व शिक्षा अभियान* : एक व्यपगत न होने वाली "प्रारम्भिक शिक्षा कोष" नामक निधि इस कार्यक्रम के निधि पोषण हेतु सृजित की गई है; 2005-06 में आवंटन बढ़ाकर 7,156 करोड़ रुपए किया गया।

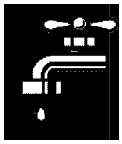

- *पेय जल और सफाई* : सभी पेयजल स्कीमों को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत लाया गया; शेष शामिल न किए गए ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने और लगभग 2.16 लाख बसावटों में जल की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा; सम्पूर्ण सफाई अभियान का सभी जिलों में विस्तार किया जाएगा।

- *अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति* : छात्रवृत्ति स्कीमों के लिये एक नई सुविधा दी जा रही है; कोई भी अनुसूचित छात्र सूचीबद्ध उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में दाखिला पाता है तो उसे शिक्षण शुल्क, रहन-सहन खर्चो, पुस्तकों और कम्प्यूटर के लिए एक बड़ी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप आरंभ की जाएगी।

- *महिलाएं एवं बच्चे* : आने वाले समय में सभी विभागों को लिंग आधारित बजट प्रस्तुत करना और लाभ-प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण करना अपेक्षित होगा।

- *अल्पसंख्यक* : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए इक्विटी सहायता बढ़ाई जाएगी; सर्वशिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले नए विद्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास खंडों या ग्रामों में अवस्थित किया जाएगा; प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों, में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; परीक्षा-पूर्व कोचिंग स्कीमों में प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को शामिल किया जाएगा।

- *पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि* : की स्थापना की जाएगी; 2005-06 में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन और अगले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष इतनी ही राशि आवंटित की जाएगी।

- *बिहार* : राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के अधीन संक्रमण प्रबंध का 2006-07 तक जारी रहना; पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से सहायता; बारहवें वित्त आयोग द्वारा 2005-10 की अवधि के लिए 7,975 करोड़ रुपए राशि के अनुदान।

- *जम्मू व कश्मीर* : सामान्य राज्य आयोजना के अतिरिक्त पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत विशेष आयोजना सहायता उपलब्ध कराना; बगलिहार परियोजना को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराना; बारामूला-ऊधमपुर रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाना।

- *पूर्वोत्तर क्षेत्र* : कुमारघाट-अगरतला और लुमडिंग-सिल्वर-जिरीबाम-इम्फाल परियोजनाओं की रेलवे बजट के बाहर अतिरिक्त निधियों से सहायता की जाएगी; राजमार्ग विकास हेतु विशेष पैकेज (450 करोड़ रुपए)।

- *ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि*: 2005-06 में 8000 करोड़ रुपए की मूल निधि।

भारत निर्माण

लक्ष्यः

- अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर को सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाना;
- उन सभी ग्रामों जिनकी आबादी 1000 है (अथवा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में 500) को सड़क से जोड़ना;
- गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त घरों का निर्माण;
- पेयजल सुविधा से वंचित शेष 74,000 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराना;
- शेष 1,25,000 ग्रामों तक बिजली पहुंचाना और 2.3 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन देना; और
- शेष 66,822 ग्रामों को टेलीफोन संयोजनता प्रदान करना।

निवेशः

- 2005-06 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (रेलवे सहित) को 14,040 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता और 3,554 करोड़ रुपए के ऋण।

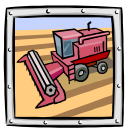

कृषि

- *कृषि के विविधीकरण की कार्ययोजना* : यह कार्ययोजना फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध उद्योग, मूर्गी पालन, मत्स्य पालन, दालों और तिलहनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तैयार की जाएगी।
- *राष्ट्रीय बागवानी मिशन* : वर्ष 2005-06 में 630 करोड़ रुपए; अनुसंधान, उत्पादन, फसल-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को एकीकृत रूप से शामिल करना।

- *कृषि विपणन अवसंरचना* : कृषि विपणन अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण की एक नई योजना शुरू की जाएगी, कृषि बाजारों की स्थापना हेतु निजी और सहकारी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए श्रेणीकरण तथा मानकीकरण व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगा; श्रेणीकरण, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन जैसी विपणन अवसंरचना तथा सहायक सेवाएं; योजना को उन राज्यों में जो अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों को संशोधित करेंगे, नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- *जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन और भू-क्षरण नियंत्रण* : जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना मार्च, 2005 के माह में आरंभ की जाएगी; यह प्रायोगिक परियोजना 9 राज्यों में 16 जिलों के लिए बनाई गई है और इसमें लगभग 700 जल निकायों को शामिल किया जाएगा; 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगी; गंगा बेसिन और बह्मपुत्र व बराक घाटियों में बाढ़ प्रबन्धन तथा भू-क्षरण हेतु वर्ष 2005-06 में 180 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय; फरक्का बैरेज परियोजना हेतु 52 करोड़ रुपए; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए परिव्यय बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 4,800 करोड़ रुपए।

- *सूक्ष्म सिंचाई* : सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत कवरेज को दसवीं योजना में 3 मिलियन हेक्टेयर तक तथा ग्यारहवीं योजना में 14 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित किया जाएगा।

- *ग्रामीण उधार तथा ऋणग्रस्तता* : भारतीय रिजर्व बैंक ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों, ग्रामीण स्टालों तथा ग्राम सूचना केन्द्रों की संरचना का उपयोग करके एजेंसी माडल के रूप में बैंकों को अनुमति देने संबंधी मुद्दे की जांच करेगा; चालू वर्ष में 108,500 करोड़ रुपए का कृषि ऋण संवितरित किया जाएगा; वर्ष 2005-06 में ऋण प्रवाह में और 30 प्रतिशत वृद्धि; सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उधारकर्त्ताओं की संख्या में और 50 लाख की वृद्धि करने के लिए कहा जाएगा।

- *कृषि बीमा* : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ और रबी 2005-06 के लिए जारी रहेगी।

- *सूक्ष्म वित्त* : ऋण-सम्पर्क के लिए स्व-सहायता समूहों की संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का लक्ष्य है; सूक्ष्म वित्त विकास निधि को "सूक्ष्म वित्त विकास तथा इक्विटी निधि" के रूप में पुनर्निदिष्ट कर इसकी मूल निधि बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए की जाएगी; भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-सरकारी पात्र संगठनों को विदेशी वाणिज्यिक सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

- *सूक्ष्म बीमा* : गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, सहकारिताओं तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सूक्ष्म बीमा एजेन्ट बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

- *प्रत्येक ग्राम में ज्ञान केन्द्र* : सरकार मिशन 2007 में हिस्सा लेगी जो एक राष्ट्रीय पहल है जिसे सामाजिक संगठनों सहित लगभग 80 संगठनों वाले एक गठबंधन द्वारा आरम्भ किया गया है इनका लक्ष्य स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ तक प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केन्द्र की स्थापना करना है; नाबार्ड के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी; आरआईडीएफ से 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

- *कृषि अनुसंधान* : महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक प्रावधान की व्यवस्था की गयी है।

विनिर्माण

- "विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम" आरम्भ किया जाएगा जो छोटे और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करेंगे; उद्योग के परामर्श से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

- *वस्त्रोद्योग :* प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) के लिए 435 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं; वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी स्कीम आरम्भ की जा रही है; हथकरघा उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन के लिए समूहन विकास प्रणाली अपनाई जाएगी; पहले चरण में 40 करोड़ रुपए की लागत से 20 समूहों को लिया जाएगा; पूरी तरह अस्तित्व में आने के बाद हथकरघा जुलाहों के लिए जीवन बीमा योजना का विस्तार करके आगामी दो वर्षो में 30 करोड़ रुपए की लागत पर 20 लाख जुलाहों को इसमें शामिल किया जाएगा; जुलाहों के लिए स्वास्थ्य बीमा पैकेज का विस्तार करके 30 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आवर्ती लागत पर इसमें 2 लाख जुलाहों को शामिल किया जाएगा।

- *चीनी उद्योग :* राज्य सरकारों से परामर्श करके नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं मूलधन तथा ब्याज दोनों के संबंध में दो वर्ष के लिए अधिस्थगन सहित एक वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने की स्कीम पर कार्य करेंगे और प्रत्येक यूनिट की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संबंध में भुगतान कार्यक्रम तैयार करेंगे; 21 अक्तूबर, 2004 तक बकाया ऋणों के संबंध में बैंक दर से 2 प्रतिशत अंक कम की ब्याज दर लागू की जाएगी; भारतीय बैंक एसोसिएशन तथा नाबार्ड एक स्कीम तैयार करेंगे जिसके तहत फैक्ट्रियां अपने पिछले उच्च ब्याज ऋणों के संबंध में नए सिरे से बातचीत कर सकेंगी ।

- *भेषज तथा जैव प्रौद्योगिकी :* अनुसंधान तथा विकास निधि के लिए चरणबद्ध तरीके से आधारभूत राशि की वृद्धि की जाएगी; इन दोनों उद्योगों को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए स्थिर नीतिगत माहौल तथा आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

- *लघु तथा मध्यम उद्यम :* आरक्षण मुक्त करने हेतु 108 मदों की पहचान की गई है; "लघु उद्योग योजनाओं के संवर्धन" हेतु प्रावधान को 2005-06 में बढ़ाकर 173 करोड़ रुपए किया जा रहा है; भेषज, जैव प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों की यूनिटों को लघु और मध्यम उद्यम विकास निधि के माध्यम से इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी।

- *कौशल प्रशिक्षण :* उन्नयन के लिए 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की पहचान कर ली गई है; इनमें से 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 67 आईटीआई को उद्योग से जोड़ दिया गया है और प्रत्येक संस्थान के लिए 1.6 करोड़ रुपए की लागत से उनका उन्नयन किया जाएगा; सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

- *विदेशी व्यापार :* विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दुगुना करके 1.5 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए 2008-09 तक निर्यात हेतु 150 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आधारभूत ढांचा

- *दूरसंचार :* सार्वभौम सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि हेतु 2005-06 के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है; ग्रामीण आबादी के दूरभाषों के लिए 1,687 उपखंडों को सहायता प्रदान की जाएगी; बीएसएनएल आगामी तीन वर्षों में शेष 66,822 राजस्व गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष उपलब्ध कराएगा।

- *राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना :* 2005-06 में एनएचडीपी-III का कार्य उन चुनिंदा उच्च घनत्व वाले राजमार्गों पर किया जाएगा जो स्वर्ण चतुर्भुज अथवा उत्तर-दक्षिण अथवा पूर्व-पश्चिम गलियारों का भाग नहीं है; 2005-06 में 4000 किलोमीटर चार लेन वाले मार्ग हेतु 1,400 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 450 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक विशेष पैकेज प्रदान किया गया है।

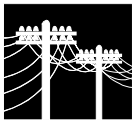

- *ग्रामीण विद्युतीकरण :* पांच वर्षों में 1.25 लाख गांवों को कवर किया जाएगा; प्रत्येक खंड में 33/11 किलोवाट सहित ग्रामीण विद्युत वितरण आधार का निर्माण करके प्रत्येक गांव में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा; 2005-06 में 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

- *इंदिरा आवास योजना :* 2005-06 में आवंटन बढ़ा कर 2,750 करोड़ रुपए कर दिया गया है; अगले वर्ष लगभग 15 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा।

- *विशेष प्रयोजनीय साधन :* ऐसी ढांचागत परियोजनाएं जो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हैं, के वित्तपोषण के लिए वित्तीय विशेष प्रयोजनीय साधन (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी। एसपीवी पात्र मूल्यांकित परियोजनाओं को सीधे ही अन्य ऋणों में सहायता के लिए निधियां, विशेषतया दीर्घा-वधि की परिवक्वता वाले ऋण, उधार देगी; 2005-06 के लिए उधार सीमा 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित की जाएगी।

- *ग्रामीण क्षेत्र समूहों (पूरा) में शहरी सुविधाओं का प्रावधान :* असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने "पूरा" सिद्धान्तों को लागू करने के लिए "अभिवृद्धि छोरों" के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है; 2005-06 में प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कुछ अभिवृद्धि छोरों का सृजन किया जाएगा।

- *राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन :* इसके अंतर्गत एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले सात महानगरों तथा कुछ अन्य शहरों को शामिल किया जाएगा; 2005-06 में 1650 करोड़ रुपए के अनुदान संघटक सहित 5500 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

वित्तीय क्षेत्रक

बैंकिंग

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में पुरःस्थापित किए जाने वाले संशोधन -

  - ♦ सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) की निचली और ऊपरी सीमाओं को समाप्त करना तथा विवेकपूर्ण मानदंडों के निर्धारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को नम्यता प्रदान करना;
  - ♦ बैंकिंग कंपनियों को अधिमानी शेयरों के निर्गम की अनुमति देना; भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और उनकी सहायक कंपनियों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु विशिष्ट उपबंध लागू करना;

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में पुरःस्थापित किए जाने वाले संशोधन -
  - ♦ मौद्रिक नीति के अधिक नम्य संचालन को सुकर बनाने के लिए नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) की सीमाएं समाप्त करना।
  - ♦ भारतीय रिजर्व बैंक को रिपो, प्रतिवर्ती रिपो अथवा अन्यथा तरीके से प्रतिभूतियां उधार देने अथवा लेने में समर्थ बनाना।

पूंजी बाजार :

- घरेलू बाजार में व्युत्पादों का कारोबार करते समय सेबी द्वारा विनिर्दिष्टानुसार नकद अथवा अन्यथा समुचित समपार्श्व प्रस्तुत करने की एफआईआई को अनुमति दी जाएगी;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "प्रतिभूति" की परिभाषा संशोधित की जाएगी ताकि बंधक आधारित कर्ज सहित प्रतिभूतिकृत ऋण के व्यापार हेतु विधायी ढांचे की व्यवस्था की जा सके;
- कारपोरेट बांड बाजार के विकास में विधायी, विनियामक, कर और बाजार निर्गमों की जांच के लिए कारपोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाएगी;
- तीन स्टॉक एक्सचेंजों जिनका अभी निगमीकरण नहीं हुआ है, के निगमीकरण के लिए परिसंपत्तियों के आनुमानिक अंतरण पर स्टाम्प शुल्क से एकबारगी छूट की अनुमति दी जाएगी;

- भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मुंबई को क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाएगी;

- सेबी से कहा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से अंतर्निहित आस्ति के रूप में सोने के लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिड फंडस् (जीईटीएफ) शुरू करने की म्यूचुअल फंडों को अनुमति दे ताकि कोई भी परिवार 100 रुपए की अल्प राशि के यूनिटों में सोने की खरीद-फरोख्त करने में समर्थ हो सके।

अन्य प्रस्ताव

- *उच्च शिक्षा :* भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर को विश्व श्रेणी का विश्वविद्यालय बनाया जाएगा; 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

- *वैट :* सभी राज्य 1 अप्रैल, 2005 से मूल्य वर्द्धित कर लागू करने पर सहमत हो गए हैं; केंद्र सरकार किसी राजस्व हानि की स्थिति में, एक सम्मत सूत्र के अनुसार, राज्यों को क्षतिपूर्ति करेगी।

- *बारहवां वित्त आयोग :* उदार परन्तु करों, ऋण राहत और अनुदानों की अधिक सुपुर्दगी शामिल करते हुए उचित पैकेज।

- *रक्षा व्यय :* 2005-06 में रक्षा आवंटन को बढ़ाकर 83,000 करोड़ रुपए किया गया जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 34,375 करोड़ रुपए शामिल हैं।

राजकोषीय समेकन

- सभी बड़े कार्यक्रमों के विकास परिणामों की परख के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की जाएगी; स्कीमों को, बिना किसी स्वतंत्र और बारीकी से किए गए मूल्यांकन के, एक आयोजना अवधि से दूसरी आयोजना अवधि में जारी नहीं रहने दिया जाएगा।

- कृषि मंत्रालय वर्तमान एमएसपी-आधारित खरीद को क्षति पहुँचाए बिना, विशेषतः गैर-परंपरागत राज्यों में, विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति को और अधिक किफायती बनाएगा;

- उर्वरक विभाग द्वारा गठित एक कार्य दल 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ हो रही उर्वरकों की नई मूल्यनिर्धारण प्रणाली के अगले चरण को कार्यान्वित करने के लिए जांच कर रहा है।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्कः

- पूर्व-एशियाई पड़ोसी देशों के अनुरूप सीमाशुल्क संरचना बनाने की नीति को जारी रखना; गैर-कृषि उत्पादों के लिए दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।

- निवेश को बढ़ावा देने के लिए, चुनिंदा पूंजीगत मालों और उनके हिस्सों पर सीमाशुल्क कम करके 15 प्रतिशत से नीचे लाकर, कुछ मामलों में 10 प्रतिशत और कुछ अन्य मामलों में 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- कपड़ा मशीनरी तथा प्रशीतित यानों पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा।

- चर्म और फुट-वियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सात विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जाना; इथाइल विनाइल एसीटेट (ई.वी.ए.) पर, शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया जाएगा।

- फार्मास्यूटिकल्स और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रकों में प्रयुक्त नौ विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- बैटरी चालित सड़क वाहनों तथा मुद्रणालयों के विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर शुल्कों को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा।

- प्राथमिक और द्वितीयक धातुओं के लिये सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया जाएगा। कैटालिस्ट, रिफ्रेक्टरी कच्ची सामग्रियां, प्राथमिक प्लास्टिक सामग्रियां, शीरे और औद्योगिक इथाइल अल्कोहल, जैसी औद्योगिक कच्ची सामग्रियों पर अब 10 प्रतिशत की घटी हुई सीमाशुल्क दर लगेगी; सीसे पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- उच्च भस्म-युक्त कोकिंग कोल पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- पोलिएस्टर और नाइलोन चिप्स, वस्त्र रेशों, धागों और मध्यवर्तियों, फैब्रिक्स एवं गारमेंटस पर सीमाशुल्क दरें 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की जाएंगी।

- सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई.टी.ए.) की आबद्ध मदों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित विनिर्दिष्ट पूंजीगत सामान और सभी सामग्रियों पर सीमाशुल्क हटाया जाएगा।

- आई.टी.ए. आबद्ध मदों एवं उनकी सामग्रियों, जिन पर कोई शुल्क नहीं है, के आयात पर 4 प्रतिशत सी.वी.डी. लगाया जाएगा; उत्पाद शुल्क के भुगतान पर सी.वी.डी. के लिये ऋण उपलब्ध होगा; आईटी साफ्टवेयर को प्रस्तावित सी.वी.डी. से छूट दी जाएगी।

- वातावरणिक पेय जल जेनरेटर्स पर शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जाएगा।

उत्पाद शुल्क :

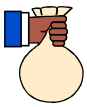

- पालियेस्टर फिलामेंट धागा, टायर और एयरकंडीशनरों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 16 प्रतिशत किया जाएगा।
- स्वतंत्र कपड़ा निर्माताओं को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे छूट प्रणाली का उपयोग करें अथवा **सेनवेट** क्रेडिट के साथ 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की अदायगी करें।
- ब्रांडेड आभूषणों पर 2 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा; मोजेइक टाइलों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा 1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन के सेमी ट्रेलरों हेतु रोड ट्रैक्टरों पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा; कृषि ट्रैक्टर शुल्क से मुक्त बने रहेंगें।
- चाय पर 1 रु0 प्रति किग्रा0 का अधिभार तथा परिष्कृत खाद्य तेलों पर 1 रु. प्रति किग्रा0 और वनस्पति पर 1.25 रु0 प्रति किग्रा0 का शुल्क समाप्त किया जाएगा।
- टर्नओवर पर आधारित लघु उद्योग के लिए छूट की अधिकतम सीमा को 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। लघु उद्योग इकाइयों के लिए केवल दो विकल्प होंगेः 1 करोड़ रुपए की पहली निकासी पर पूर्ण छूट अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 1 करोड़ रुपए की पहली निकासी पर सामान्य शुल्क।
- लोहे और इस्पात पर शुल्क घटाकर 16 प्रतिशत किया जाएगा।
- शीरे पर शुल्क को 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जाएगा; वंचन-रोधी उपाय के रूप में सीमेंट क्लिंकर्स पर शुल्क 250 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर उपकर 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा।
- सिगरेट पर विशिष्ट दर में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी तथा गुटका, चबाने वाला तम्बाकू, नसवार और पान मसाला सहित अन्य तम्बाकू उत्पादों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा; बीड़ियो पर यह लेवी नहीं लगेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर

- कच्चे पेट्रोलियम पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना।
- घरेलू उपयोग के लिए एल.पी.जी और सब्सिडी युक्त किरोसीन पर सीमाशुल्क शून्य होगा।
- अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जिनमें मोटर स्प्रिट (एमएस) और डीजल (एचएसडी) शामिल है, पर सीमाशुल्क को 20 या 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना; पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यथामूल्य और विनिर्दिष्ट शुल्कों के मिश्रण के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

सेवा कर

- ऐसे सभी सेवा प्रदायकों, जिनका सकल कारोबार प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए से अधिक न हो, को सेवा कर से छूट प्रदान करना।
- कुछ अतिरिक्त सेवाओं को सेवा कर के अंतर्गत लाना।

प्रत्यक्ष कर

नए कर ब्रैकेटों तथा नई दरों के प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

1 लाख रुपए तक	-	शून्य
1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक	-	10 प्रतिशत
1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक	-	20 प्रतिशत
2.5 लाख रुपए से अधिक	-	30 प्रतिशत

- जिस स्तर पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगेगा, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर योग्य आय तक करना।
- महिलाओं के लिए आरंभिक छूट सीमा के स्तर को 1.25 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों हेतु 1.5 लाख रुपए पर निर्धारित करना।
- प्रत्येक कर दाता को बचतों के संबंध में 1 लाख रुपए की समेकित सीमा की अनुमति प्रदान करना जिसकी कर के आकलन से पहले आय से कटौती की जाएगी; सभी मौजूदा क्षेत्रीय सीमाओं का हटाया जाना; धारा 80ठ तथा 88 का नयी व्यवस्था को परिलक्षित करने के लिए हटाया जाना।
- अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए खातों पर अर्जित ब्याज पर कर से छूट को जारी रखना।
- जहां लाभों को सामान्यतया कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त किया जाता है और कर्मचारियों पर अलग-अलग अधिरोपित नहीं किया जा सकता, उन के लिए नियोजक पर कर लगाया जाएगा; नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई परिवहन और कार्यालय में अथवा फैक्टरी में कैंटीन सेवाएं कर जाल से बाहर; यह कर सीमान्त लाभ कर कहलाएगा; इसकी दर उपयुक्त रूप से परिभाषित आधार पर 30 प्रतिशत होगी।
- घरेलू कंपनियों हेतु, कंपनी आय कर दर 30 प्रतिशत होगी; साथ में 10 प्रतिशत का अधिभार भी होगा; आम मशीनरी तथा संयंत्र पर मूल्यह्रास की दर 15 प्रतिशत होगी परन्तु आरंभिक मूल्यह्रास दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा; राहत के एक अन्य उपाय के रूप में, आरंभिक मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थापित क्षमता में 10 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता को हटाया जाएगा।

- तकनीकी सेवाओं पर रोक (विदहोल्डिंग) कर को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करना।
- आयकर अधिनियम की धारा 115ञक के अन्तर्गत किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के भुगतान के लिए क्रेडिट की अनुमति ।
- निम्नलिखित मामलों में विशेष प्रयोजनार्थ दी गई छूटों पर टर्मिनल तिथि को 31 मार्च, 2005 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2007 करना :
    - जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, इलैक्ट्रानिकी, दूरसंचार, रसायन या किसी अन्य अधिसूचित उत्पाद के कारोबार में लगी कंपनियों के आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं पर व्यय के 150 प्रतिशत की भारित कटौती।
    - जम्मू और कश्मीर में नए औद्योगिक उपक्रमों के लाभ में कटौती।
    - वैज्ञानिक अनुसंधान एवं औद्योगिक विकास के कार्य में लगी और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित कंपनियों के लाभ की 100 प्रतिशत कटौती।
- लीज पर वायुयान या वायुयान के इंजनों को अधिग्रहित करने के करारों पर कर छूट का 30 सितम्बर, 2005 तक विस्तार किया जाना।
- सभी श्रेणियों के लेन-देनों के लिए एसटीटी की दरों में मामूली वृद्धि।
- आय कर अधिनियम में इस व्यवस्था के लिए संशोधन किया जाना कि विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों में व्युत्पादों को आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "सट्टाकारी लेनदेनों" के रूप में नही माना जाएगा।
- आयकर विवरणियां दाखिल करने हेतु छः-में-एक मानदंड के रूप में मोबाइल फोन को हटाया जाएगा। इसके बजाए, 50,000 रु0 प्रतिवर्ष से अधिक के बिजली भुगतान को शामिल किया जाएगा।
- दो कर-अपवंचन उपायों को प्रारम्भ किया जाएगाः (i) किसी एकल दिवस में 10,000 रु0 तक या उससे अधिक की नकद राशि के आहरण पर 0.1 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा, (ii) बैंकों को उन सभी जमाराशियों की रिपोर्ट देना अपेक्षित होगा जो ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से मुक्त हों।
- सुविधाजनक बनाने के उपाय के रूप में, बड़ी करदाता इकाइयां (एलटीयू) स्थापित की जाएंगी जो प्रारम्भ में बड़े नगरों में स्थापित की जाएंगी; छोटे करदाताओं के लिए औद्योगिक संघों, व्यावसायिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

टिप्पणी